प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर, थानाः–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 183/22 दिनांक 14/05/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7,
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– 120बी
   (3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 231 समय 1:00 Pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**मंगलवार, दिनांक 12.05.2022 समय 08.00 पी.एम.**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **05.05.2022 समय 04.00 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश पूर्व–दक्षिण बफासला करीब 02 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय जालोर जिला जालोर**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री आनन्दसिंह पुत्र भीमसिंहजी जाति राजपुत निवासी पोमावा तह. सुमेरपुर जिला पाली** हाल अध्यापक , राज.उ.प्रा.वि. **मामाजी का ऊण ,जालोर ब्लॉक जिला जालोर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :–
   1. **श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह, जाति जाट, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डूमरा, तहसील नवलगढ पुलिस थाना मुकुंदगढ जिला झुंझुनुं, हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर।**
   2. **श्री राणाराम हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर। एवं अन्य।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 1,11,000/–रू0,

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

सेवामें

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,
जालोर

विषय :— रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत्।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं आनन्दसिंह पुत्र भीमसिंहजी जाति राजपुत निवासी पोमावा तह. सुमेरपुर जिला पाली जो वर्तमान में जालोर ब्लॉक में अध्यापक पद पर राज.उ. प्रा.वि. मामाजी का ऊण में पदस्थापित हूं। मैने एक कृषि भूखण्ड संख्या 13 साईज 50 ग 200 फीट जरिए इकरारनामा मौका पानीया नाडा रोड जालोर श्री वेलाराम माली से खरीदा है जिसका बेचान में अन्य व्यक्तियों को कर रहा हूं। जिसकी रजिस्ट्री हेतु उप पंजियक कार्यालय जालोर में दो रजिस्ट्री पेस कर पार्टी द्वारा अपडेशन कार्यालय में करवा दिया था जो अभी तक वो रजिस्ट्री हमें नहीं दी जा रहीं है उप पंजियक कार्यालय जालोर में कार्यरत श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क व विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा उक्त भूखण्ड में रजिस्ट्रीयों हेतु दो लाख रूपये की मांग कर रहे है तथा रूपये देने पर बाकी रजिस्ट्रीयां करने व रजिस्ट्रीयां की प्रतियां लौटाने का कहा है।

आज दिनांक 5/5/22 को मैं उप पंजीयक कार्यालय जालोर में गया तो श्री राणाराम ने सभी रजिस्ट्रीयॉ सम्पादित करवाने हेतु स्वंय व श्री विक्रमसिंह के लिए 2,00,000/—(दो लाख) रूपये देने की मांग कर रहे है ये राशि नही देने पर रजिस्ट्रीयॉ नही करने का दबाव डाल कर रजिस्ट्रीयां खारिज करने की धमकी देकर राशि दो लाख रूपये की मांग कर रहे है

अतः श्रीमानजी से निवदेन है कि मैं मेरे भूखण्ड की जायज रजिस्ट्रीयॉ करवाने के बदले श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह से कोई आपसी रंजिश व लेनदेन बकाया नहीं है श्रीमानजी से निवेदन है कि नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करावे।

संलग्नः— स्वप्रमाणित आधार कार्ड छायाप्रति व इकरारनामा दस्तावेज।

इति दिनांक 05/5/22

एस.डी. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,05.05.2022/06.05.2022
एस.डी. राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस,06.05.2022
एस.डी. गवाह श्री जोगेन्द्रसिह छात्रावास अधीक्षक /11.05.2022
एस.डी. गवाह श्री दिनेश कुमार छात्रावास अधीक्षक /
11.05.2022

प्रार्थी
—एस.डी.— प्रार्थी

आनंदसिंह पुत्र भीमसिंह

मोबाईल नं.9468689108

कार्यवाही पुलिस

निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 05.05.2022 वक्त 4.00 पी.एम. पर परिवादी श्री आनन्दसिंह पुत्र भीमसिंहजी जाति राजपुत निवासी पोमावा तह. सुमेरपुर जिला पाली हाल अध्यापक राज.उ.प्रा.वि. मामाजी का ऊण जालोर ब्लॉक मोबाईल नंबर 9468689108 ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय जालोर पर उपस्थित होकर श्रीमान डॉ0महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत कि मैने एक कृषि भूखण्ड संख्या 13 साईज 50 X 200 फीट जरिए इकरारनामा मौका पानीया नाडा रोड जालोर श्री वेलाराम माली से खरीदा है जिसका बेचान में अन्य व्यक्तियों को कर रहा हूं। जिसकी रजिस्ट्री हेतु उप पंजियक कार्यालय जालोर में दो रजिस्ट्री पेस कर पार्टी द्वारा अपडेशन कार्यालय में करवा दिया था जो अभी तक वो रजिस्ट्री हमें नहीं दी जा रहीं है उप पंजियक कार्यालय जालोर में कार्यरत श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क व विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा उक्त भूखण्ड में रजिस्ट्रीयों हेतु दो लाख रूपये की मांग कर रहे है तथा रूपये देने पर बाकी रजिस्ट्रीयां करने व रजिस्ट्रीयां की प्रतियां लौटाने का कहा है।आज दिनांक 5/5/22 को मैं उप पंजीयक कार्यालय जालोर में गया तो श्री राणाराम ने सभी रजिस्ट्रीयॉ सम्पादित करवाने हेतु स्वंय व श्री विक्रमसिंह के लिए 2,00,000/–(दो लाख) रूपये देने की मांग कर रहे है ये राशि नही देने पर रजिस्ट्रीयॉ नही करने का दबाव डाल कर रजिस्ट्रीयां खारिज करने की धमकी देकर राशि दो लाख रूपये की मांग कर रहे है अतः श्रीमानजी से निवदेन है कि मैं मेरे भूखण्ड की जायज रजिस्ट्रीयॉ करवाने के बदले श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मेरी श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह से कोई आपसी रंजिश व लेनदेन बकाया नहीं है श्रीमानजी से निवेदन है कि नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करवाने की कृपा करावे।पुलिस दरियाफ्त पर परिवादी ने उक्त रिपोर्ट स्वंय के हस्तलिपि में होना रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड छायाप्रति व इकरारनामा पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया तथा परिवादी ने यह भी बताया श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह उप पंजीयक कार्यालय जालोर में बिना रिश्वत लिए वाजिब रजिस्ट्रीयां नहीं करते है तथा दोनों बहुत ही शातिर एवं सर्तक व्यक्ति है। ।परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि0 श्री गुलाबसिंह नं0 140 को कार्यालय कक्ष में तलब किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री आनंदसिंह का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मालखाना से डिजीटल टेप रिकार्ड मंगवाकर खाली होना सुनिश्चित कर श्री गुलाबसिह कानि.नं.140 एंव परिवादी श्री आनंदसिंह को डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑपरेट करने की समझाईश कर श्री गुलाबसिंह कानि. नं.140 को सुपुर्द किया गया। श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री आनंदसिंह को समझाईश की गई कि संदिग्ध कर्मचारी क्रमशः श्री राणाराम एवं श्री विक्रमसिंह की उपस्थिति बाबत जानकारी प्राप्त कर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाकर लाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।

तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर के परिवादी आनंदसिंह के निजी वाहन से रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाकर लाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाकर भ्रनिब्यूरो जालोर से कार्यालय उप पंजियक जालोर की तरफ रवाना किया गया।

तत्पश्चात श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 मय डिजीटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी श्री आनंदसिंह के निजी वाहन से उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के गये हुए ब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित आये। श्री गुलाबसिंह कानि. ने डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ हालात में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द किया । श्री गुलाबसिंह कानि ने बताया कि ब्यूरो कार्यालय जालोर से परिवादी श्री आनंदसिंह के निजी वाहन से रवाना होकर जिला कलैक्ट्रेट जालोर के परिसर में स्थित कार्यालय उप पंजीयक जालोर के नजदीक पहुंचे।परिवादी श्री आनंदसिंह ने गोपनीय तरीके मालूमात किया तो ज्ञात हुआ कि संदिग्ध अधिकारी

श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क कार्यालय में नहीं है तथा संदिग्ध अधिकारी श्री विक्रमसिंह क्लर्क कार्यालय उप पंजिक जालोर में उपस्थित है जिस पर मन् कानि ने परिवादी श्री आनंदसिंह को आवश्यक हिदायत दी जाकर कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑन कर सुपर्द कर संदिग्ध अधिकारी श्री विक्रमसिंह से रिश्वती राशि मांग वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु कार्यालय उप पंजियक जालोर के लिए रवाना किया गया एवं मन् कानि अपनी पहचान को छुपाते हुए कार्यालय उप पंजियक जालोर के ईदगिर्द परिवादी के आने के इंतजार में व्यस्त रहा। करीब घंटा–सवा घंटा के पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह कार्यालय उप पंजीयक जालोर से रवाना होकर कलैक्टर परिसर जालोर से बाहर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर उपस्थित आया । परिवादी श्री आनंदसिंह ने कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर चालू हालात में मन् कानि. को सुपूर्द किया जिसे मैने स्वीच ऑफ कर स्वंय के कब्जे में लिया। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री आनंदसिंह ने श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 के कथनों की ताईद की। परिवादी श्री आनंदसिंह ने बताया कि मै कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पहुंचा उक्त कार्यालय में श्री विक्रमसिंह क्लर्क उपस्थित मिला ,जिससे मैने मेरे द्वारा खरीदशुदा प्लॉट की रजिस्ट्रीयों बाबत वार्तालाप की तो श्री विक्रमसिंह ने रजिस्ट्रीयां करवाने के दो लाख रूपये रिश्वत के मांगे है उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। परिवादी श्री आनंदसिंह ने यह भी बताया कि श्री विक्रमसिंह उपरोक्त वार्तालाप संभवतया श्री राणाराम को बताएगा तथा श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह संभवतया विशनगढ रोड पर श्रीराम ग्रेनाईट फेक्ट्री के पीछे की तरफ स्थित रावली ढाणी होटल पर आज कभी भी मिलने आ सकते है। तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल टेप रिकार्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो संदिग्ध अधिकारी श्री विक्रमसिंह द्वारा परिवादी श्री आनंदसिंह से दो लाख रूपये रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई एवं परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर स्वीच ऑफ कर स्वंय के कब्जे में लिया। चूंकि रात्रि का समय होने से संदिग्ध अधिकारी श्री राणाराम से रिश्वती राशि मांग संबधी वार्ता करवानी है अतः परिवादी श्री आनंदसिंह को कल दिनांक 06.05.2022 को प्रातः कार्यालय हाजा में तलब किया जाकर कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह को आवश्यक हिदायत दी जाकर कल दिनांक 06.05.2022 को प्रातः 9.30 ए.एम. भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आने हेतु पांबध कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 06.05.2022 को पूर्व में पाबंधशुदा परिवादी श्री आनंदसिह कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि कल दिनांक 05.05.2022 को रात्रि में करीब 9.42 पी.एम. पर श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क रावली ढाणी होटल पर उपस्थित आया । मैंने श्री राणाराम से मेरे खरीदशुदा रजिस्ट्रीयों बाबत वार्ता की तो श्री राणाराम ने मेरे द्वारा खरीदी गई भूखण्ड की सभी रजिस्ट्रीयां करने के पश्चात एक लाख ग्यारह हजार रूपये देना तय हुआ है मैने श्री राणाराम की मेरे साथ हुई रूबरू वार्ता को मेरे मोबाईल फोन में रिकार्ड किया है। परिवादी श्री आनंदसिंह ने अपने मोबाईल फोन में रिकार्डशुदा वार्ता को सुनने हेतु मोबाईल फोन श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया । मोबाईल में रिकार्ड वार्ता को सुनने पर परिवादी के कथनो ताईद होते हुए श्री राणाराम द्वारा एक लाख ग्यारह हजार रूपये लेने हेतु सहमत होना तथा आदि वार्ता होना पाया गया। उक्त मोबाईल में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में सेव करवाया गया। चूंकि श्री राणाराम तथा परिवादी श्री आनंदसिंह की वार्ता परिवादी के अपने मोबाईल में रिकार्ड कर दी गई है जिसमें श्री राणाराम एक लाख ग्यारह हजार रूपये लेना सहमत होना पाया गया है जिससे श्री राणाराम द्वारा परिवादी श्री आनंदसिंह से एक लाख ग्यारह हजार रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि हुई। उक्त श्री राणाराम एवं परिवादी श्री आनंदसिंह के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को आईन्दा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात श्री आनंदसिंह को आरोपीगण श्री राणाराम एवं श्री विक्रमसिंह को रिश्वत राशि के रूप में दी जाने वाली एक लाख ग्यारह हजार रूपये की व्यवस्था करने व अपनी खरीदशुदा भूखण्ड की रजिस्ट्रीयों को करने की हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर उक्त प्रकरण में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देश/आदेश प्रदान किए जाकर परिवादी श्री आनंदसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करवाया गया तथा दिनांक 05.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह व आरोपी श्री विक्रमसिंह के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है एवं दिनांक 05.05.2022 को रावली ढाणी होटल पर परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री राणाराम के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को सुनाया गया तथा उक्त ट्रेप कार्यवाही संबधित विस्तृत विमर्श किया गया। इसी दौरान परिवादी श्री आनंदसिह को भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित आने हेतु तलबी की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आया । परिवादी श्री आनंदसिंह का श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस से परस्पर परिचय करवाया जाकर श्री आनंदसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेज व कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर सुपुर्द कर उक्त प्रकरण में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के निर्देश/आदेश प्रदान किए गये।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह द्वारा परिवादी श्री आनंदसिंह से प्रकरण से संबधित विस्तृत पूछताछ की गई। दिनांक 05.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह व आरोपी श्री विक्रमसिंह के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है एवं दिनांक 05.05.2022 को रावली ढाणी होटल पर परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री राणाराम के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को आईन्दा गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में फर्द टांसस्क्रिप्ट बनाये जाने का निर्णय लिया गया। परिवादी श्री आनंदसिंह को हिदायत की गई कि आपके खरीदी गई भूखण्ड की सभी रजिस्ट्रीयां करने के पश्चात आरोपीगणों को रिश्वत में दी जाने राशि एक लाख ग्यारह हजार रूपये की व्यवस्था कर भ्रनिब्यूरो जालोर कार्यालय उपस्थित आवें।तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह को आवश्यक हिदायत की जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 10.05.2022 परिवादी श्री आनंदसिंह ने भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित होकर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे भूखण्ड की कल दिनांक 11.05.2022 को सभी रजिस्ट्रीयां करवा ली जायेगी। उसके बाद मैं कभी भी श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह को रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक ग्यारह हजार की पेशकश करूंगा तो वो मेरे से रिश्वत प्राप्त कर लेंगे।

तत्पश्चात श्री परिवादी श्री आनंदसिंह को कल दिनांक 11.05.2022 को प्रातः 3 पी.एम. तक अपने भूखण्ड की सभी रजिस्ट्रीयां पूर्ण करवा कर आरोपीगण श्री राणाराम एवं श्री विक्रमसिंह को रिश्वत में दी जाने राशि एक लाख ग्यारह हजार रूपये की व्यवस्था कर भ्रनिब्यूरो कार्यालय जालोर उपस्थित होने का पांबध कर इत्यादि हिदायत कर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात ट्रेप कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री कालूराम कानि. नं. 477 को श्रीमान सहायक निदेशक सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग जालोर के नाम एक तेहरीर देकर दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी कर हमराह लाने हेतु रवाना उक्त कार्यालय की तरफ किया गया।

तत्पश्चात श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय दो स्वतन्त्र गवाह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आये। उपस्थित गवाहन का मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो उन्होने अपना नाम श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री झालमसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी 26, मोहल्ला मुसलमानों का वास ,गुंदाऊ पुलिस थाना करडा तहसील सांचौर

जिला जालोर हाल छात्रावास अधीक्षक,सियाणा,सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग जिला जालोर। मोबाईल नं0 9571537178 व श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुखराम उम्र 32 वर्ष जाति विश्नोई निवासी ग्राम जाखल तहसील सांचौर जिला जालोर हाल छात्रावास अधीक्षक ,(देवनारायण) सांचौर ,सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग ,जिला जालोर। मोबाईल नं. 7340341829 होना बताया। उपरोक्त दोनों उपस्थित गवाहान को यहां आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार को कल दिनांक 11.05.2022 को वक्त 03.00 पी0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 11.05.2022 को पूर्व पांबद शुदा परिवादी श्री आनंदसिंह ब्यूरो कार्यालय जालोर में उपस्थित आया। इसी दौरान पूर्व पाबंधशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार एवं श्री जोगेन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय कक्ष में उपस्थित परिवादी श्री आनंदसिंह का दोनो स्वंतत्र गवाहन से परस्पर परिचय करवाया गया एंव परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया व पढाया गया तथा दिनांक 05.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह व आरोपी श्री विक्रमसिंह के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है एवं दिनांक 05.05.2022 को रावली ढाणी होटल पर परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री राणाराम के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है को सुनाया गया एंव गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तस्सली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहन बनने की सहमति प्रदान की एंव परिवादी की रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी श्री आनंदसिंह ने बताया कि मेरी सभी रजिस्ट्रीयां हो चुकी है जिसका कम्पयुटर पर अपडेशन हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रीयों की प्रतियों पर श्रीमान उप पंजीयक जालोर के हस्ताक्षर करने अभी बाकी है। श्री राणाराम ने कल दिनांक 12.05.2022 को हस्ताक्षरशुदा रजिस्ट्रीयों की प्रतियां ले जाने का कहा है। जिस पर कल दिनांक 12.05.2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिह एवं आरोपी श्री विकमसिंह क्लर्क के मध्य दिनांक 05.05.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में सेव कर. एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखी गई।

तत्पश्चात दिनांक 05.05.2022 को रावली ढाणी होटल पर परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क के मध्य हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है रिश्वती राशि मांग सत्यापन की मोबाईल रिकार्डिंग वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त वार्ता को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में सेव कर. एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखी गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह को आवश्यक हिदायत दी कि कल दिनांक 12.05.2022 को वक्त करीब 3.30 पी.एम. पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक लाख ग्यारह

हजार रूपये लेकर कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित आवे एवं प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी श्री आनंदसिंह को रूखसत किया गया। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार को प्रकरण में गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर कल दिनांक 12.05.2022 को वक्त करीब 3.30 पी.एम. भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित आने हेतु पाबंध कर हिदायत दी जाकर रूखसत किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 12.05.2022 को पूर्व पाबंधशुदा परिवादी श्री आनंदसिंह कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आया। इसी दौरान पूर्व पाबंधशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार कार्यालय भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आये। परिवादी श्री आनंदसिंह ने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,11,000 रूपये (अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार रूपये) साथ लेकर आया हूं। परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी श्री राणाराम मुझे करीब 6–7 बजे फोन करेगा । तब रिश्वती राशि देने के लिए कार्यालय उप पंजीयक जालोर जाउंगा।

तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ कर परिवादी श्री आनन्दसिंह पुत्र भीमसिंहजी जाति राजपुत निवासी पोमावा तह. सुमेरपुर जिला पाली हाल अध्यापक,राज.उ.प्रा.वि. मामाजी का ऊण ,जालोर ब्लॉक ने आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क, कार्यालय उप पंजीयक जालोर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 1,11,000(एक लाख ग्यारह हजार)रू0 प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री आनंदसिंह ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रू. के 55 नोट एवं 500–500 रू. के 02 नोट कुल राशि 1,11,000 (एक लाख ग्यारह हजार)रू0 मन् राजेन्द्रसिंह, निरीक्षक पुलिस को पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	DP	026512
2.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CT	939146
3	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	ED	734922
4	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	FC	183834
5	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FL	142249
6	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	FM	851770
7	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	CP	104389
8	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	FG	045760
9	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	HR	717963
10	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	LB	938602
11	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	DW	778433
12	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	KS	352468
13	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	HQ	756983
14	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	BT	675069
15	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	FP	708095
16	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	DQ	586693
17	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	AU	173849
18	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	EK	030470
19	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HQ	536515
20	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HH	597449
21	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	MR	733948

22	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	KK	711536
23	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	BC	361716
24	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	ES	221639
25	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	FD	897405
26	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	DS	928352
27	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	FE	424417
28	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	CP	866274
29	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	DB	426928
30	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	DU	593026
31	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	DW	310941
32	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	2	DE	988390
33	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	HD	315664
34	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	KD	823261
35	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	KD	127638
36	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	AU	541639
37	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	CS	001646
38	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	EF	349629
39	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	MD	199100
40	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	BG	513805
41	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	GE	433571
42	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	AL	745108
43	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	3	AE	879210
44	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	AB	519483
45	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	AE	764794
46	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	5	EP	520370
47	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	FW	738576
48	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	8	CF	868975
49	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	6	HL	132696
50	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	4	HR	221530
51.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	MD	208632
52.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	0	DU	539350
53.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	1	EG	046739
54.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	7	MN	564856
55.	एक नोट दो हजार रूपये का नम्बरी	9	HH	100222
56.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	FL	035869
57.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	NC	414536

मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 नं0 96 से मालखाना का ताला खुलवाया जाकर श्री रणवीर मनावत कानि.ड्राईवर नं. 613 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशि मंगवाई गई। उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाये जाकर नोटों पर श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री आनंदसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री दिनेश कुमार, छात्रावास अधीक्षक से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई, परिवादी का मोबाईल उसके पास रखा गया। इसके बाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 1,11,000 (एक लाख ग्यारह हजार) रूपयें के नोट श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 से ही परिवादी के पहने हुये शर्ट के बांयी साईड की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह अपनी जेब मे रखे नोटों को हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखते है अथवा कहॉ छुपाते हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् राजेन्द्रसिह निरीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर गोपनीय ईशारा करे। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर घुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवा कर उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरहा को भी साफ पानी व साबुन से तीन बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क या श्री विक्रमसिंह क्लर्क के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुननें का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 को ब्यूरो जाब्ता की कमी होने से ट्रेप कार्यवाही में साथ रखा गया तथा रणवीर मनावत को हिदायत दी गई की ट्रेप कार्यवाही के दौरान कार्यालय हाजा की सरकारी वाहन में ही बैठे रहे एवं श्री रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान पृथक रखने का निर्णय लिया गया। उक्त फर्द मुर्तिब की जाकर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिंग नोट की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह के कहेनुसार आज दिनांक 12.05.2022 को वक्त 6 पी.एम. बाद इंतजार उपरांत आरोपी श्री राणाराम द्वारा परिवादी को फोन नहीं किया गया है जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उप पंजीयक जालोर के नजदीक पंहुचने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस हमराहयान गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार तथा ब्यूरो जाब्ता सर्वश्री सुखाराम हैड कानि. नं.96,श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 ,श्री आदूराम कानि. नं. 142, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 के जरिए निजी वाहन तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के मय ट्रेप बॉक्स ,लेपटॉफ ,प्रिटंर,, मय आवश्यक सामग्री के तथा परिवादी श्री आनंदसिंह को श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर के परिवादी के निजी वाहन के एवं डॉ. महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 के निजी वाहन के ट्रेप कार्यवाही वि. श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क एंव श्री विक्रमसिंह क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर हेतु कार्यालय उप पंजीयक जालोर की तरफ रवाना हुए। स्टाफ की कमी होने से कार्यालय हाजा के तालाबंदी कर चाबी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपुर्द की गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान रिजर्व पुलिस लाईन जालोर के नजदीक पहुंचे एवं आरोपी श्री राणाराम के फोन के इंतजार में व्यस्त हुए।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह के मोबाईल नं 9001090031 का लाउडस्पीकर ऑन करवाया जाकर आरोपी श्री राणाराम के मोबाईल नं 7976815641 पर वार्ता करवायी गई । उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। वार्ता सुनने पर परिवादी आनंदसिंह को आरोपी श्री राणाराम द्वारा रिश्वती राशि श्री विक्रमसिंह क्लर्क को कार्यालय उप पंजीयक जालोर पहुंचकर देने हेतु कहा गया इत्यादि वार्ता रिकार्ड है। इसी दौरान 7.09 पी.एम. पर आरोपी श्री राणाराम ने अपने मोबाईल नं 7976815641परिवादी श्री आनंदसिंह के मोबाईल नं. 9001090031 पर फोन आया जिस पर परिवादी के मोबाईल फोन का लाउडस्पीकर ऑनकर वार्ता करवायी गई उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई वार्ता को सुनने पर आरोपी श्री राणाराम द्वारा परिवादी श्री आनंदसिह को रिश्वती राशि उक्त पंजीयक कार्यालय जालोर पहुंचकर आरोपी श्री विक्रमसिंह को देने हेतु कहा गया है उक्त रिकार्ड वार्ताओं की आईन्दा रूबरू गवाहान एंव परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री राणाराम के उपस्थिति बाबत जानकारी की गई तो वह जालोर से आकोली रामसीन की तरफ जाना ज्ञात हुआ जिसको दस्तयाब कर लाने हेतु बाद विचार विमर्श के श्रीमान महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवदेन किया गया। जिस पर श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 जरिए निजी वाहन के आरोपी श्री राणाराम की दस्तायाबी हेतु रामसीन की तरफ रवाना हुऐ।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिह के मोबाईल नं 9001090031 पर आरोपी श्री राणाराम के मोबाईल नं.7976815641 से फोन आया जिस पर परिवादी श्री आनंदसिह के फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। इसी दौरान वक्त 7.40 पी.एम. पर पुनः आरोपी श्री राणाराम के मोबाईल फोन नं 7976815641से परिवादी श्री आनंदसिंह के मोबाईल फोन नं. 9001090031पर फोन आया। जिस पर परिवादी श्री आनंदसिंह के फोन का लाउडस्पीकर ऑन कर कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई। उक्त वार्ताओं को सुना गया तो आरोपी श्री राणाराम द्वारा कार्यालय उप पंजीयक जालोर में श्री विक्रमसिंह इंतजार कर रहा है शीघ्र पहुंचो इत्यादि वार्ता रिकार्ड होना पाया गया है उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर दोनों वार्ताओं की आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया।तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह व श्री कालूराम कानि. नं.477 मय डिजीटल टेप रिकार्डर के परिवादी श्री आनंदसिंह के निजी वाहन से कार्यालय उप पंजीयक जालोर की तरफ रवाना करते हुए आवश्यक हिदायत की गई कि उप पंजीयक कार्यालय जालोर के नजदीक पहुंच कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑनकर आरोपी श्री विक्रमसिंह से रिश्वती राशि लेनदेन हेतु रवाना करें जिनके पीछे पीछे मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस हमराहयान रिजर्व पुलिस लाईन जालोर से रवाना होकर उप पंजीयक कार्यालय जालोर के ईदगिर्द पहुंच

अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हूए निजी वाहन एवं सरकारी वाहन में बैठे रहकर परिवादी श्री आनंदसिह के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त हुए।

तत्पश्चात दिनांक 12.05.2022 को वक्त 08.00 पी.एम. परिवादी श्री आनंदसिंह ने कार्यालय उप पंजीयक जालोर के मुख्य गेट से बाहर आकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो तीन बार हाथ फेरकर किया । जिसे मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहयान ने देखा जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराहयान सरकारी वाहन एवं निजी वाहन से उतरकर शीघ्र ही रवाना होकर परिवादी के पहुंचे। परिवादी श्री आनंदसिंह को पूर्व में सूपूर्दशुदा कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर को अपने कब्जे लिया जाकर स्वीच ऑफ किया गया। परिवादी श्री आनंदसिंह ने बताया कि आरोपी श्री विक्रमसिंह उप पंजीयक कार्यालय जालोर में अंदर बैठा है जिसने मांग कर 1,11,000 रूपये (अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार रूपये) रिश्वती राशि प्राप्त की है। श्री विक्रमसिंह क्लर्क ने उक्त राशि दोनों हाथों से गिन रहा था तभी मैने कार्यालय उप पंजीयक जालोर से बाहर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया । जिस पर परिवादी श्री आंनदसिंह को हमरा लेकर कार्यालय उप पंजीयक जालोर में प्रवेश करने ही वाले थे जिस पर एक व्यक्ति कार्यालय उप पंजीयक जालोर के अंदर मुख्य गेट पर ही उपस्थित मिला। परिवादी श्री आनंदसिंह ने उस व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति आरोपी श्री विक्रमसिंह क्लर्क है जिसने मांग कर 1,11,000 रूपये (अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार रूपये) रिश्वती राशि प्राप्त की है। श्री विक्रमसिंह क्लर्क ने उक्त राशि दोनों हाथों से गिनकर अपने पास रखे है तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहयान गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार व परिवादी श्री आनंदसिंह व ब्यूरो दल का परिचय दिया जाकर श्री विक्रमसिंह का पूर्ण पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह, जाति जाट, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डूमरा, तहसील नवलगढ पुलिस थाना मुकुंदगढ जिला झुंझुनुं, हाल क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर।मोबाईल न. 7014724178 होना बताया। । मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने उपस्थित गवाहान ,परिवादी मय ब्यूरो जाब्ता के आरोपी श्री विक्रमसिंह को परिवादी श्री आनंदसिंह की तरफ ईशारा कर पहचानने तथा परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने बाबत पूछने पर आरोपी श्री विक्रमसिंह ने बताया कि श्री आनंदसिंह द्वारा एक पानीया नाडा जालोर पर स्थित एक कृषि भूखण्ड रजिस्ट्रीशुदा खरीदा है उक्त भूखण्ड की उनके द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के नाम से रजिस्ट्रीयां करने हेतु दस्तावेज पेश किए गए है उनके उप पंजीयक कार्यालय जालोर में आने से इन्हें पहचानता हूं।श्री आनंदसिंह द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रजिस्ट्रीयां श्रीमान उप पंजीयक जालोर द्वारा हस्ताक्षर करने पश्चात दस्तावेजात श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क द्वारा रजिस्ट्री शुल्क की गणना करने के पश्चात दस्तावेजात कंम्पयुटर पर अपडेशन करने हेतु मुझे सुपुर्द किए थे। मैंने श्री आनंदसिंह की प्रस्तुत विभिन्न रजिस्ट्रीयों का कंम्पयुटर पर अपडेशन कर लिया है दस्तावेजात पर उप पंजीयक जालोर के हस्ताक्षर करने के पश्चात श्री आनंदसिंह को सुपर्द किया जाना शेष है कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पदस्थापित श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क रामसीन की तरफ जाना बताया था। श्री राणाराम ने मुझे आज मोबाईल पर फोन कर बताया कि श्री आनंदसिंह से एक लाख ग्यारह हजार रूपये प्राप्त कर लेना। श्री राणाराम के कहेनुसार श्री आनंदसिंह से उसकी रजिस्ट्रीयों पेठे मांग कर एक लाख ग्यारह हजार रूपये प्राप्त कर गिन कर पास ही खडे श्री हीरजी वकील साहब को दे दिए तथा हीरजी वकील साहब अपने घर के लिए रवाना हो गए। तत्पश्चात श्री विक्रमसिंह को परिवादी श्री आनंदसिंह से एक लाख ग्यारह हजार रूपये प्राप्त करने का पूछने पर बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई। आईन्दा से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री आनंदसिंह ने आरोपी श्री विक्रमसिंह के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते बताया कि मैंने पानीया नाडा रोड जालोर पर स्थित एक कृषि भूखण्ड 50 गुना 200 फीट श्री वेलाराम माली से रजिस्ट्रीशुदा खरीदा है जिसका इकरारनामा बेंचान कृषि भूखण्ड संख्या 13 बेचानकर्ता वेलाराम पुत्र सकाराम उम्र 38 वर्ष निवासी शीतला माता मंदिर के पास

पानीया नाडा रोड जालोर जिला जालोर द्वारा दिनांक 08.03.2022 को मेरे नाम से नोटेरी अक्षरे 27 लाख इक्यावन हजार रूपये में खरीदा था। उक्त भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करवाने हेतु मैने रजिस्ट्रीयां दस्तावेज कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पेश किए व रजिस्ट्री शुल्क जरिए चालान के पेश किया था। मेरे द्वारा उक्त भूखण्ड की अलग अलग व्यक्तियों के नाम से उप पंजीयक कार्यालय जालोर में रजिस्ट्रीयां करवाने हेतु दिनांक 05.05.2022 को कार्यालय उप पंजीयक जालोर में जाकर श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क से मिला तो श्री राणाराम ने रजिस्ट्रीयां करवाने की एवज में स्वंय व श्री विक्रमसिंह क्लर्क के लिए दो लाख रूपये रिश्वत में मांगे। यह राशि नही देने पर रजिस्ट्रीयां नहीं करने का दबाव डालकर रजिस्ट्रीयां खारिज करनी की धमकी दी ।मैं श्री राणाराम व श्री विक्रमसिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता था। मेरी श्री राणाराम व श्री विक्रमसिह से कोई लेनदेन बकाया नहीं था। उपरोक्त आशय की लिखित रिपोर्ट मैने भ्रनिब्यूरो जालोर में उपस्थित होकर डॉ. महावीरसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपुर्द की थी। दिनांक 05.05.2022 को रिश्वती राशि गांग सत्यापन के दौरान कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पहुंचा तथा आरोपी श्री विक्रमसिंह से संपर्क किया तो विक्रमसिंह ने मेरे से श्री राणाराम के कहेनुसार मेरे भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करवाने की एवज में दो लाख रूपये रिश्वत की मांग की थी। उक्त वार्ता को भ्रनिब्यूरो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उसी रोज दिनांक 05.05.2022 को ही रात्रि में विशनगढ रोड पर स्थित श्रीराम फैक्ट्री के पीछे स्थित रावली ढाणी होटल पर श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क उपस्थित आने पर मैने मेरे खरीदशुदा भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करवाने बाबत वार्तालाप की तो श्री राणाराम ने भी मेरी खरीदशुदा भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करने के पश्चात एक लाख ग्यारह हजार रूपये रिश्वत में देना तय हुआ था मैने श्री राणाराम की मेरे साथ हुई रूबरू वार्ता को मेरे मोबाईल फोन में रिकार्ड किया था । उक्त वार्ता को भ्रनिब्यूरो जालोर के कार्यालय डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाया गया था। जिस पर आज दिनांक 12.05.2022 को श्री राणाराम के कहेनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि एक ग्यारह हजार रूपये देने हेतु कार्यालय उप पंजीयक जालोर पहुंचा तो श्री विक्रमसिंह क्लर्क ने मझसे मांग कर 1,11,000 रूपये (अक्षरे एक लाख ग्यारह हजार रूपये) रिश्वती राशि प्राप्त की है। इसी दौरान उप पंजीयक कार्यालय जालोर में लोगों की भीड अधिक होने से आरोपी श्री विक्रमसिंह के हाथ धोवन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना को मध्यनजर रखते हूए आरोपी श्री विक्रमसिंह का दाहिना हाथ कलाई से श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 सेएवं बायां हाथ श्री कालूराम कानि. नं. 477 से कलाईयो के उपर से यथास्थिति में पकडवाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रमसिंह को कार्यालय हाजा का सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाया जाकर मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस हमराहयान गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार व दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह क्लर्क तथा ब्यूरो जाब्ता सर्वश्री सुखाराम हैड कानि. नं.96,श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 ,श्री आदूराम कानि. नं. 142, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 कालूराम कानि. नं. 477 के जरिए निजी वाहन तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के मय ट्रेप बॉक्स ,कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर,लेपटॉफ ,प्रिटंर,, मय आवश्यक सामग्री के तथा परिवादी श्री आनंदसिंह के निजी वाहन से कार्यालय उप पंजीयक जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना हूए।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस हमराहयान गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार व दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह क्लर्क तथा ब्यूरो जाब्ता सर्वश्री सुखाराम हैड कानि. नं.96,श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140 ,श्री आदूराम कानि. नं. 142, श्री गोपाल कुमार कानि. नं. 537 कालूराम कानि. नं. 477 के जरिए निजी वाहन तथा सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के मय ट्रेप बॉक्स ,कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर,लेपटॉफ ,प्रिटंर,, मय आवश्यक सामग्री के तथा परिवादी श्री आनंदसिंह के निजी वाहन से कार्यालय उप पंजीयक जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर पंहुचे।

तत्पश्चात श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556 निजी वाहन के आरोपी श्री राणाराम की दस्तायाबी हेतु गये हुए भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आये । श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने फरमाया कि श्री राणाराम के दस्तयाबी हेतु संभावित स्थान पर पतारसी की गई लेकिन अथक प्रयास के उपरांत भी आरोपी श्री राणाराम का पता नही लगने से भ्रनिब्यूरो उपस्थित आये। आरोपी श्री राणाराम को संभवतया ब्यूरो की कार्यवाही की भनक लगने से अपनी सकूनत से रूहपोश हो गया है।

तत्पश्चात श्री विक्रमसिंह क्लर्क के हाथ धोवन की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुऐ ट्रेप बॉक्स में से कांच के दो साफ गिलास निकलवाये जाकर गिलासों में पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर दोनों गिलासो में पानी भरवाया गया। तत्पश्चात दोनों गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो उक्त दोनो गिलासों के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया । तत्पश्चात एक रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी श्री विक्रमसिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास में धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी रंग आया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर शिल्ड मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क आर.एच.–1 एवं आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात गिलास के दूसरे रंगहीन घोल में आरोपी श्री विक्रमसिंह के बायें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो उक्त गिलास में धोवन का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी रंग आया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर मौके पर शिल्ड मोहर किया जाकर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एल.एच.–1 एवं एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रमसिंह की जामा तलाशी श्री जोगेन्द्रसिंह छात्रावास अधीक्षक से लिरवाई गई तो आरोपी श्री विक्रमसिंह के पहनी हुई बायीं जेब में एक मोबाईल रियलमी फोन मॉडल आरएमएक्सज 2193 आईएमईआई1:862176058592374 व आईएमईआई 2:862176058592366 होना व दो सीम होना पाया गया, जिसमें एक सीम कंपनी जियो नंबर 7014724178 व दूसरी सीम नंबर बीएसएनएल कंपनी की सीम नंबर 9460841684। उक्त रियलमी मोबाईल फोन के पासवर्ड आरोपी श्री विक्रमसिंह के बतायेनुसार 101995 सही होना पाया गया। आरोपी श्री विक्रमसिंह क्लर्क के उक्त मोबाईल को वजह सबूत तहवील एसीबी लिया गया। आरोपी श्री विक्रमसिंह की पहनी हुई पेंट की बायीं जेब में कार्यालय उप पंजीयक जालोर की चाबियां पाई गई । जिसे आईन्दा उप पंजीयक जालोर को सुपुर्द किए जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रमसिंह की जामा तलाशी के दौरान रिश्वती राशिप्राप्त नही हुई है आरोपी श्री विक्रमसिंह ने संभवतया बताया कि रिश्वती राशि श्री हीरजी वकील साहब लेकर चले गये है। तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रमसिंह से परिवादी श्री आनंदसिंह द्वारा प्रस्तुत विभिन्न रजिस्ट्रीयों के बारे में पूछने पर बताया कि आनंदसिंह द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रीयां कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पंजीयन हेंतु पेश की गई थी। जिसमें एक रजिस्ट्री पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर हो चुकें है चार रजिस्ट्रीयों पर उप पंजीयक जालोर के हस्ताक्षर शेष है उक्त पांचो रजिस्ट्रीयां मेरे कार्यालय की टेबल पर अन्य दस्तावेजो के साथ रखी होना बताया। उपरोक्त कार्यवाही में पीतल की नमूना सिल का प्रयोग किया गया। फर्द हाथ धुलाई मुर्तिब की जाकर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

तत्पश्चात दिनांक 13.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिह एवं आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर के मध्य दिनांक 12.05.2022 को मोबाईल नंबर क्रमशः 9001090031 व 7976815641 पर रूबरू हुई लेनदेन पूर्व वार्ताओं को परिवादी के माध्यम से ब्यूरो के डिजीटल वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग मोबाईल वार्ताओं को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन–सुन कर एवं समझकर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन पूर्व मोबाईल वार्तालाप को मुर्तिब

कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। उक्त वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखी गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिह एवं आरोपी श्री विक्रमसिंह क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर के मध्य दिनांक 12.05.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप परिवादी श्री आनंदसिंह के माध्यम से कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवायी गई थी। उक्त रिकार्डिंग वार्ता को परिवादी एंव दोंनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप को मुर्तिब कर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो पैन ड्राईव में तैयार कर एक को मूल मानते हुये कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी पैन ड्राईव .को डब मानते हुये खुली रखी गई। उक्त पैन ड्राईव को मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस ने स्वंय की अभिरक्षा में रखी गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश कुमार एंव श्री जोगेन्द्रसिंह परिवादी श्री आनंदसिंह मय ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्रां. 613 के कार्यालय उप पंजीयक जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर पहुंचा।

तत्पश्चात श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय आरोपी श्री विक्रमसिंह का मेडीकल मुआयना व कोविड–19 जांच करवाने हेतु जरिए सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री रणवीर मनावत नं. 613 के पृथक पृथक चिकित्सा अधिकारी राजकीय चिकित्सालय जालोर के नाम की तहरीर देकर राजकीय चिकित्सालय जालोर जानिब रवाना किया गया।

तत्पश्चात श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 मय श्री कालूराम कानि. नं. 477 हमराहयान जाब्ता व आरोपी श्री विक्रमसिंह के जरिए सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत नं. 613 के आरोपी श्री विक्रमसिंह के बाद चिकित्सकीय परीक्षण एवं कोविड–19 जांच के कार्यालय हाजा उपस्थित आये । श्री सुखाराम हैड कानि. नं .96 ने आरोपी की चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट एवं कोविड–19 नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट मन् निरीक्षक पुलिस को सुपर्द की गई जिसे बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट की गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री विक्रमसिंह कानि.नं. 556 , श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के आरोपी श्री राणाराम की दस्तयाबी हेतु जानकारी प्राप्त कर संभावित स्थानों पर पतारसी करने हेतु रामसीन जानिब रवाना हुआ। आरोपी श्री विक्रमसिह की सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी हेतु श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 मय ब्यूरो जाब्ता को पाबंध कर हिदायत की जाकर रवाना हुआ।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्री विक्रमसिंह कानि.नं. 556 , श्री कालूराम कानि. नं. 477 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक रणवीर मनावत कानि. ड्राईवर नं. 613 के आरोपी श्री राणाराम की दस्तयाबी हेतु संभावित स्थानों पर पतारसी करने हेतु रामसीन जानिब गया हुआ भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आया । आरोपी श्री राणाराम की संभावित स्थानों पर पतारसी की गई लेकिन आरोपी श्री राणाराम को दस्तयाब नही किया जा सका। संभावतया आरोपी श्री राणाराम को ब्यूरो की कार्यवाही की भनक लगने से अपनी सकूनत से रूहपोश हो गया है उपरोक्त हालात श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किए गये

तत्पश्चात दस्तायाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह को पी.सी.एक्ट के तहत जुर्म से आगाह कर एक्ट के प्रावधानों तहत गिरफतार किया गया । फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई एवं गिरफतारी की सूचना सहकर्मी श्री पुखराज सुंदेशा को दी गई।

तत्पश्चात गिरफतारशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय हाजा में उपस्थित है आरोपी श्री विक्रमसिंह ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि साहब मेरे से गलती हो गई है कल दिनांक 12.05.2022 को श्री आनंदसिंह मेरे कार्यालय उप पंजीयक जालोर में मेरे कार्यालय में उपस्थित आया । श्री आनंदसिंह द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करने के एवज में मैने कार्यालय में पदस्थापित श्री राणाराम के कहेनुसार एक लाख ग्यारह हजार रूपये प्राप्त कर गिन रहा था इसी दौरान आंनदसिंह के मोबाईल पर किसी का फोन आया तथा उस फोन पर बात करते हुए उप पंजीयक कार्यालय जालोर के मुख्य गेट की बाहर तरफ जा रहा था जिस पर मैंने उक्त एक लाख ग्यारह हजार रूपये कार्यालय के पुराने रिकार्ड के अंदर छुपाकर रख दी है जिसे मैं आपके साथ चलकर इस शर्त पर बरामद करवा सकता हूं कि आप मुझे माफ कर दो। श्रीमान महावीरसिह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय हाजा में उपस्थित है उनके पास जाकर मैने हालात अर्ज किए है तथा मैने आरोपी श्री विक्रमसिह द्वारा बताये तथ्य को बताया गया तो श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री विक्रमसिह को उनके कार्यालय कक्ष में तलब किया गया तथा आरोपी विक्रमसिह ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर को भी उपरोक्त तथ्य बताये । जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उच्च अफसरान को हालात अर्ज कर मुझे आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा रिश्वती राशि बरामदगी से संबधित आदेश/ निर्देश प्रदान किए गये ।

तत्पश्चात आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा रिश्वती राशि अपने कार्यालय में रखे पुराने रिकार्ड में छुपाने के तथ्य बताये है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के अनुरूप फर्द ईतला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा जैरहिरासत पुलिस मुलजिम श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह, जाति जाट, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डूमरा, तहसील नवलगढ पुलिस थाना मुकुंदगढ जिला झुंझुनुं, हाल क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर एवं अन्य में मुर्तिब की गई ।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार ,परिवादी श्री आनंदसिंह , दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन एवं निजी वाहन मय चालक रणवीर मनावत कानि.ड्रां. नं.613 के घटनास्थल का मुआयना कर फर्द घटनास्थल तैयार करने हेतु एवं आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा बताये तथ्य के अनुसार रिश्वती राशि बरामगी हेतु एवं,कार्यालय उप पंजीयक जालोर की खाना तलाशी लेने हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से कार्यालय उप पंजीयक जालोर की तरफ रवाना हुआ।

तत्पश्चात उपराक्त फिकरा का रवानाशुदा मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार ,परिवादी श्री आनंदसिंह , दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह ब्यूरो जाब्ता श्री सुखराम हैड कानि. नं. 96 ,श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन एवं निजी वाहन मय चालक रणवीर मनावत कानि.ड्रां. नं.613 मय ट्रेप बाक्स ,लेपटॉप ,प्रिंटर व आवश्यक समग्री के घटनास्थल का मुआयना कर फर्द घटनास्थल तैयार करने हेतु एवं आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा बताये तथ्य के अनुसार रिश्वती राशि बरामगी हेतु ,कार्यालय उप पंजीयक जालोर की खाना तलाशी लेने हेतु भ्रनिब्यूरो जालोर से कार्यालय उप पंजीयक जालोर पहुंचा। घटनास्थल मौका मुआयना किया जाकर उपस्थित परिवादी श्री आनंदसिंह की निशानदेही पर फर्द नजरी नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब की जाकर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिग नोट की गई।

तत्पश्चात गिरफतारशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह ने उप पंजीयक कार्यालय जालोर में अपने टेबल कुर्सी के पीछे रखे पुराने रिकार्ड के अंदर छुपाई रिश्वती राशि एक लाख ग्यारह हजार रूपये होने बाबत बताया जिस पर उपस्थित गवाह श्री दिनेश कुमार छात्रावास अधीक्षक से पुराने रिकार्ड के अंदर रखे गए नोटों के बंडल को उठवाया जाकर दो दो हजार रूपये के 55 नोट तथा पांच पांच सौ के दो नोट कुल एक लाख ग्यारह हजार रूपये होना पाया गया। उपस्थित गवाह श्री जोगेन्द्रसिंह को पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी कर बरामदा नोटों का मिलान करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हूबहू फर्द पेशकशी से मिलान होना पाया गया। नोटों के नंबर फर्द बरामगी में अंकित करवाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस द्वारा उपस्थित गवाहान ,मौजूदगी आरोपी विक्रमसिंह व परिवादी आनंदसिंह एवं ब्यूरो जाब्ता की उपस्थिति में फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एक लाख ग्यारह हजार रूपये मुर्तिब की जाकर संबधितगण से हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रंनिंग नोट की गई। रिश्वती राशि आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा कार्यालय उप पंजीयक जालोर में पुराने रिकार्ड में छुपाये गये है जहां से रिश्वती राशि प्राप्त हुई है जिसका धोवन लेने से रिकार्ड खराब/नष्ट होने की प्रबल संभावना के मध्य नजर बरामदगी स्थल का धोवन नहीं लेने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात फर्द नक्शा मौका बरामदगी रिश्वती स्थल मुर्तिब की जाकर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात कार्यालय उप पंजीयक जालोर की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर संबधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। प्रकरण हाजा में परिवादी श्री आनंदसिंह की रजिस्ट्रीयों की प्रमाणित प्रतियां तथा आरोपीगणों के सेवा विवरण प्राप्त किए गए। जिसे बाद अवलोकन शामिल रंनिंग नोट किया गया।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार ,परिवादी श्री आनंदसिंह , दस्तयाबशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह ब्यूरो जाब्ता श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96, श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन एवं निजी वाहन मय चालक रणवीर मनावत कानि.ड्रां. नं.613 के मय ट्रेप बाक्स ,लेपटॉप ,प्रिंटर व आवश्यक सामग्री प्रकरण से संबधित पत्रावली मय दस्तावेज लेकर कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर के लिए रवाना हुआ।

तत्पश्चात उप पंजीयक कार्यालय से बाहर निकलते ही बायी तरफ एक रेत का ढेर है जिस पर एक मोबाईल सैमसंग कंपनी का पडा मिला जिसे जरिए फर्द बरामद किया गया एवं फर्द शामिल पत्रावली की गई व हमरा ब्यूरो दल के रवाना हुआ।

तत्पश्चात का रवानाशुदा मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस मय श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जोगेन्द्रसिंह एवं श्री दिनेश कुमार ,परिवादी श्री आनंदसिंह , गिरफतारशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह ब्यूरो जाब्ता श्री मोहनलाल हैड कानि. नं. 93, श्री विक्रमसिंह कानि. 556 ,श्री कालूराम कानि. 477 मय सरकारी वाहन एवं निजी वाहन मय चालक रणवीर मनावत कानि.ड्रां. नं.613 के प्रकरण से संबधित पत्रावली मय दस्तावेज लेकर कार्यालय उप पंजीयक कार्यालय जालोर से भ्रनिब्यूरो जालोर पंहुचा।

तत्पश्चात परिवादी श्री आनंदसिंह ने दिनांक 05.05.2022 को बिशनगढ रोड पर श्रीराम ग्रेनाईट फैक्ट्री के पीछे स्थित रावली ढाणी होटल पर आरोपी श्री राणाराम के रात्रि में उपस्थित आया था तथा परिवादी आनंदसिंह तथा आरोपी श्री राणाराम के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन बाबत वार्ता परिवादी श्री आनंदसिंह ने अपने मोबाईल में करवायी गई थी। उक्त रावली ढाणी होटल पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने से आरोपी श्री राणाराम के उपस्थिति बाबत सीसीटीवी फुटेज संबधित रिकार्डिंग पैन ड्राईव प्रस्तुत की गई।उक्त पैन ड्राईव का अवलोकन किया गया तो परिवादी श्री आनंदसिंह एवं एक अन्य व्यक्ति वार्ता करते हुए पाये गये। परिवादी श्री आनंदसिंह ने बताया कि मेरे पास यह अन्य व्यक्ति श्री राणाराम होना बताया।

तत्पश्चात प्रकरण से संबधित मालखाना आईटम आरोपी श्री विक्रमसिंह के दाहिने एवं बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे के धोवन की शिल्डशुदा शीशीयां क्रमशः आर.एच.–1,आर.एच.–2 ,एल.एच.–1 ,एल.एच.–2 तथा दिनांक 05.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री विक्रमसिंह के मध्य मांग सत्यापन के दौरान रिकार्डिंग वार्तालाप की एक शिल्डशुदा पैन ड्राईव एक व एक पैन ड्राईव डब, दिनांक 05.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री राणाराम के मध्य मांग सत्यापन के दौरान रिकार्डिंग मोबाईल वार्तालाप की एक शिल्डशुदा पैन ड्राईव एक व एक पैन ड्राईव डब खुली हालात में , दिनांक 12.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिह एवं आरोपी श्री राणाराम रजिस्ट्री क्लर्क कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर के मध्य मोबाईल नंबर क्रमशः 9001090031 व 7976815641 पर रूबरू हुई लेनदेन पूर्व वार्ताओं की क शिल्डशुदा पैन ड्राईव एक व एक पैन ड्राईव डब खुली हालात में , दिनांक 12.05.2022 को परिवादी श्री आनंदसिंह एवं आरोपी श्री विक्रमसिंह के मध्य रिश्वती राशि लेनदेन रिकार्डिंग वार्तालाप का एक शिल्डशुदा पैन ड्राईव एक व एक पैन ड्राईव डब खुली हालात में , आरोपी श्री विक्रमसिंह का मोबाईल फोन खुली हालात में, परिवादी द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज संबधित पैन ड्राईव खुली हालात में, बरामदा रिश्वती राशि एक लाख ग्यारह हजार रूपये का एक शिल्डशुदा पैकेट प्रकरण से संबधित फर्दात के मुताबिक मालखाना आईटम मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गयां।

तत्पश्चात कार्यालय हाजा में हवालात की सुविधा नही होने से गिरफताशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक को पुलिस कोतवाली जालोर की हवालात में जमा करवाने हेतु श्री सुखाराम हैड कानि. नं 96 मय श्री गुलाबसिंह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि. नं 477 के जरिए सरकारी वाहन मय चालक रणवीर मनावत कानि.ड्रां. के एक तहरीर देकर भ्रनिब्यूरो जालोर से कोतवाली जालोर रवाना किया गया।

तत्पश्चात श्री सुखाराम हैड कानि. नं. 96 मय श्री कालूराम जरिए सरकारी वाहन मय चालक रणवीर मनावत के गिरफतारशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह को जमा हवालात करवाकर प्राप्ति रसीद लेकर उपस्थित आये जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात मन् राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस आवश्यक कार्य होने से प्रकरण से संबधित पत्रावली श्रीमान महावीरसिंह राणावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अग्रिम कार्यवाही हेतु निवेदन की जाकर सुपूर्द कर अवकाश पर रवाना हुआ।

तत्पश्चात गिरफताशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक को पुलिस कोतवाली जालोर से लाने हेतु ब्यूरो जाब्ता श्री सुखाराम हैड कानि. नं 96 मय श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556, श्री गुलाबसिह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि.477 के जरिए सरकारी वाहन मय चालक रणवीर मनावन कानि.ड्रां. भ्रनिब्यूरो जालोर से कोतवाली जालोर रवाना किया गया।

तत्पश्चात श्री सुखाराम हैड कानि. नं 96 मय श्री विक्रमसिंह कानि. नं. 556, श्री गुलाबसिह कानि. नं. 140, श्री कालूराम कानि.477 के जरिए सरकारी वाहन मय चालक रणवीर मनावन कानि.ड्रां. गिरफताशुदा आरोपी श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक के पुलिस कोतवाली जालोर से लेकर भ्रनिब्यूरो जालोर उपस्थित आये।

तत्पश्चात प्रकरण हाजा में बिना नंबरी प्रथम सूचना प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार की जाकर मय आरोपी श्री राणाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपं पंजीयक जालोर की सेवाविवरण के प्रतियों एव संबधित फर्दात ट्रांसस्क्रिप्ट के जरिए इमेंल ब्यरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित की गई।

तत्पश्चात में उक्त ट्रेप कार्यवाही वि. श्री राणाराम कनिष्ठ सहायक एवं श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपं पंजीयक जालोर व अन्य में आवश्यकता नही होने से गवाहान एवं परिवादी को रूकसत किया गया।

अब तक की कार्यवाही से परिवादी श्री आनंदसिंह कें खरीदशुदा कृषि भूखण्ड की रजिस्ट्रीयां करने की एवज में श्री राणाराम कनिष्ठ सहायक तथा श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ संहायक

कार्यालय उप पंजीयक जालोर द्वारा दो लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग करने से संबधित प्रस्तुत रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने पर श्री राणाराम कनिष्ठ सहायक तथा श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ संहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर द्वारा एक लाख ग्यारह हजार रूपये रिश्वत राशि मांगे जाने की पुष्ठि हुई तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री विक्रमसिंह के दोनों हाथों के धोवन लिया जाने पर हल्का गुलाबी रंग आया । तथा आरोपी श्री विक्रमसिंह द्वारा रिश्वती राशि कार्यालय उप पंजीयक जालोर में रखा पुराना रिकार्ड में से स्वतंत्र गवाहान ,एवं परिवादी की उपस्थिति मे एक लाख ग्यारह हजार रूपये होना तथा आरोपी श्री राणाराम द्वारा अपनी सकूनत से रूहपोश होना एवं श्री राणाराम कनिष्ठ सहायक तथा श्री विक्रमसिंह कनिष्ठ संहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर का उपरोक्त कृत्य अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम,2018 एवं सहपठित धारा 120 बी भांदसं का अपराध करना बखूबी प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी श्री विक्रमसिंह पुत्र श्री महेन्द्रसिंह, जाति जाट, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम डूमरा, तहसील नवलगढ पुलिस थाना मुकुंदगढ जिला झुंझुनुं, हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर व श्री राणाराम हाल कनिष्ट सहायक कार्यालय उप पंजीयक जालोर जिला जालोर एवं अन्य के विरूद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना प्रतिवदेन वास्ते क्रमांकन श्रीमानजी की सेवामें सादर प्रेषित है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन बाद क्रमांकन अग्रिम अनुंसंधान हेतु आदेश प्रदान करावे।

भवदीय

5.5.22

(राजेन्द्रसिह)
निरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक, जालोर 2. राणाराम, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय उप पंजीयक जालोर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 183/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक: 1620-24 दिनांक 14.05.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

14/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।